

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

संजय उरॉव

बनाम

सोमेश उरॉव वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-10 / 2018-19

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

आवेदक श्री संजय उरॉव पिता-स्व० मंगरा उरॉव ग्राम-जूरा थाना-भरनो जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 49 के अंतर्गत श्री सोमेश उरॉव पिता-स्व० लोयो उरॉव ग्राम-जूरा थाना-भरनो जिला-गुमला को अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि पर outlet (Petrol Pump) के अधिष्ठापन हेतु 30 वर्षों की लीज पर देने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है:-

क्र०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)
1.	जूरा	127	110	719	0.64
				720	0.16
	कुल				0.80 ए०

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के द्वारा इस वाद को आगे जारी रखना नहीं चाहते हैं।

अतः अनुमति वाद खारिज की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

24.04.22
उपायुक्त,
गुमला

24.04.22
उपायुक्त,
गुमला